दिनांक	कार्यवाहियों का संक्षिप्त विवरण	
25/3/22	वकील वादी उप0। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 13/4/22 को पेश हो।	
13/4/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। वादी की ओर से प्रमाण पत्र सरपंच, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, अंकतालिका, फोटो कॉपी बैंक पास बुक की प्रतियां पेश की। वकील वादी के निवेदन पर बहस एकपक्षीय सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय 03/05/22 को पेश हो।	
3/5/22	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते करते हुए कथन किया था कि ग्राम सिरोही पटवार मण्डल सिरोही स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 471 व 473 की खातेदारी में वादी का नाम राजवीर पुत्र फूलचन्द दर्ज रिकार्ड है जो गलत है। वादी का सही नाम हरिसिंह पुत्र फूलचन्द है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बनाते समय सहवन से वादग्रस्त आराजी में खातेदार का नाम राजवीर पुत्र फूलचन्द गलत दर्ज कर दिया गया। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान का प्रमाण पत्र एवं अंकतालिका, बैंक पास बुक की प्रतियां पेश की जिनमें वादी का सही नाम हरिसिंह पुत्र फूलचन्द है। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सिरोही बतौर साक्ष्य स्वय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि की गयी है। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में ... होता है कि वादी का सही नाम हरिसिंह पुत्र फूलचन्द है जो पुष्टि आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड ... माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान का प्रमाण पत्र एवं अंकतालिका, बैंक पास बुक व वकील वादी ... शपथ पत्र ... ग्राम पंचायत सिरोही के प्रमाण पत्र से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड, दस्तावेजात से वादी का दावा साबित है। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर) **आदेश** अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा तहसील ग्राम सिरोही पटवार हल्का सिरोही स्थित भूमि खसरा नंबर 471 व 473 में दर्ज खातेदार राजवीर पुत्र फूलचन्द के स्थान पर हरिसिंह पुत्र फूलचन्द दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। ... तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु ... डिक्री मुर्तब हो। निर्णय आज इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील ... दाखिल दफ्तर हो। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.28 17:52:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner